मौलिक अधिकार

(1)

भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारों की आवश्यकता होती है वे ही अधिकार ही मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। इन अधिकारों की अनिवार्यता इनके मौलिक होने का प्रमाण है।

भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

- सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार पत्र — भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक है। इसमें भी कई अनुच्छेद लम्बे हैं। अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करने के कारण ऐसा है।
- मौलिक अधिकार सीमित हैं, निरपेक्ष नहीं — अमेरिका में नागरिकों के अधिकार निरपेक्ष हैं परन्तु भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के आदर्शों में संतुलन बना रहे।
- व्यवहारिकता पर आधारित — यह व्यवहारिक है एवं सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। इनमें सबों के समानता की व्यवस्था की गई है साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं विकास की विशेष व्यवस्था की गई है।
- न्यायालय द्वारा संरक्षण — यह अधिकार पूर्ण रूप से वैधानिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत आवश्यक आदेश निर्गत कर सकती है।
- प्राकृतिक अधिकारों के लिए स्थान नहीं — अमेरिका में नागरिकों को लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं किन्तु भारत में इनके अतिरिक्त कोई अन्य प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- राज्य के सामान्य कानून से ऊपर — मौलिक अधिकार संसद अथवा राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। संघीय सरकार या राज्य सरकारें इनका हनन नहीं कर सकती। गोलकनाथ विवाद इसका उदाहरण है।
- सरकार की निरंकुशता पर अंकुश — मौलिक अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर अंकुश रखते हैं। सरकार अपनी मनमानी इच्छा इन पर नहीं थोप सकती है।
- मौलिक अधिकारों का निलम्बन:- इन अधिकारों को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से ~~निलम्बित~~ निलम्बित किया जा सकता है। संकटकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलम्बित कर सकता है।
- भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों में अन्तर — कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं किन्तु राजनीतिक अधिकार केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है।
- भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार:

संविधान के भाग 3 में वर्णित 7 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे किन्तु 44वें संशोधन अधिनियम

1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। सम्पत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है। अब भारतीय नागरिकों को केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं –

1. समानता का अधिकार (अनु. 14-18) इसमें नागरिकों को पाँच प्रकार की समानता प्राप्त है – (a) विधि के समक्ष समानता (b) सामाजिक समानता (c) सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता (d) अस्पृश्यता का उन्मूलन (e) उपाधियों का अन्त।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु. 19-22) – लोकतान्त्रिक उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया। इसमें निम्न स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है – (a) 19(1) विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (b) 19(1) ख) – निःशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण सभा करने की स्वतन्त्रता (c) 19(1) ग) – समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतन्त्रता (d) 19(1) घ) – देश के किसी भी भाग में भ्रमण तथा निवास की स्वतन्त्रता (e) 19(1) छ) व्यवसाय की स्वतन्त्रता (f) अनुच्छेद 20 – अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा (g) जीवन एवं शरीर-रक्षण की स्वतन्त्रता – अनु. 20) (h) गिरफ्तारी व बन्दीकरण के विरुद्ध सुरक्षा – अनु. 22 (अनु. 22 (क) के खण्ड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है (i) बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार – संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा नया अनु. 21 ए जोड़कर यह अधिकार दिया गया है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार – (अनु. 23 एवं 24) – भारत का संविधान भारत में एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है इसके लिए समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के शोषण के अन्त तक व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं – (a) मनुष्यों का क्रय-विक्रय निषेध अनु. 23(1) – यह एक दण्डनीय अपराध है। (b) बेगार का निषेध – अनु. 23(3) – बलपूर्वक काम लेना अपराध है (c) बाल श्रम का निषेध – अनु. 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों अथवा खानों या किसी जोखिम भरे काम के लिए नौकर नहीं बनाया जा सकता। निःसन्देह संविधान के अन्तर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार सराहनीय है पर इसके लिए सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है।

4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु. 25-28) – भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार का अधिकार प्राप्त है – (a) धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतन्त्रता – अनु. 25) अपने अन्तःकरण की मान्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने एवं उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता है। (b) धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता अनु. 26) (c) धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतन्त्रता अनु. 27 (d) व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतन्त्रता (अनु. 28) (e) — किन्तु धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक संकुचन की भावना को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है

— संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29-30)
भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा सम्बन्धी दो अधिकार प्रदान
किए गए हैं — (a) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनु. 29)
प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख
का पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु राजकीय सहायता प्राप्त किसी
शिक्षण संस्था में भेदभाव अपराध होगा।
(b) अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना
और प्रशासन का अधिकार (अनु. 30) — धर्म अथवा
भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की
शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन का अधिकार है
किन्तु राज्य किसी शिक्षण संस्थान को इस आधार पर आर्थिक
सहायता देने से इन्कार नहीं कर सकती कि वह किसी राज
धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के
प्रबन्ध के अधीन हो।

— संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32-35) संविधान
द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं इनका उल्लंघन शासन
द्वारा न हो इस हेतु संविधान द्वारा व्यक्ति को संवैधानिक
उपचारों का भी अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में प्रदान
किया गया है। नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि
वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय
की शरण ले सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, "यह
संविधान का हृदय तथा आत्मा है"। [illegible], भारतीय
संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण तथा प्रजातांत्रिक भवन की
आधार कहा है।

—x—